

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

बाबूलाल पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी रामपूरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान ।	बनाम	रामकरण पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी रामपूरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान ।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. 2...../2025 RCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	
10.01.25	<p>प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट वकील श्री दीपेन्द्र जाखड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अनावदेकगण की जारी हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 10/3/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू</p> <p>10/3/25 वादनों के हटने के बाद न्यायालय फाइल में अस्थिरता। वकील वादी/प्रतिवादी ने तलबों हेतु पुन अर्ज दायर बादा। अर्ज दायर दिनांक 15/4/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.) नवलगढ़</p> <p>15/4/25 पत्रावली पेश हुई। धारा 148(ए) के अन्तर्गत न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है। पुनः पत्रावली अंतिम कार्यवाही दिनांक 25/5/25 को पेश हो।</p> <p>25/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उध.। पत्रावली के फा. विवादों में भूमि के संबंध में उपाह से अर्जित समझ होने पर कोर्ट वाद पेश नहीं पेश होने पर पत्रावली के इतरा स्तर पर रवारिदा मिली जाना है। पत्रावली फेरल सुना होला फा. नवल से लभ है। तलब वाद तलमेल जाप्ता 4/1/25 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ए. सी. ई. एस. (फा. ट्रे.) नवलगढ़</p>	
पालना के क्रमांक व दिनांक		

